काले धन की बरामदगी

***412. **श्री नरेश अग्रवाल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए नोटबंदी का सहारा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को अब तक किन-किन स्रोतों से कितना-कितना काला धन प्राप्त हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) काले धन को समाप्त करना, नोटबंदी के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था, जैसा कि इस बारे में भारत सरकार की दिनांक 08.11.2016 की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। विदेश में जमा काले धन के विरुद्ध कार्रवाई एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसी कार्रवाई में शामिल है, समुचित विधायी और प्रशासनिक ढांचा और प्रक्रिया तैयार करना तथा प्रभावकारी प्रवर्तन कार्रवाई करना।

विदेश में जमा काले धन को वापस लाने के लिए हाल ही में उठाए गए कदमों में शामिल हैं:– (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता और उपाध्यक्षता में काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन। (ii) विशेष तौर पर विदेश में छिपाए गए काले धन के मुद्दे से निपटने के लिए एक नये न्यापक कानून - काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर आरोपण अधिनियम, 2015। (iii) पनामा पेपर लीक मामले में खुलासे की जांच के लिए एक बहु-एजेंसी दल (एमएजी) का गठन। (iv) कर संधियों के अंतर्गत सूचना के आदान-प्रदान को सुकर बनाने और बढ़ाने के लिए विदेशी सरकारों के साथ पूर्व सक्रिय ढ़ंग से कार्य करना। (v) सूचना विनिमय के लेख को अंतर्राष्ट्रीय मानक तक लाने के लिए कर संधियों पर पुनः वार्ता करना और सूचना के आदान-प्रदान को सुकर बनाने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कई क्षेत्राधिकारियों के साथ कर संधियों पर हस्ताक्षर करके भारत के संधि नेटवर्क का विस्तार करना। (vi) सूचना के स्वतः आदान-प्रदान को सुकर बनाने के लिए वैश्विक प्रयासों को पूर्व सक्रिय रूप से और आगे बढ़ाना। (vii) वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को संशोधित करके देश में धारित मूल्य के बराबर सम्पत्ति की कुर्की और जब्ती को समर्थ करना जहां सम्पत्ति/अपराध की आमदनी देश के बाहर ली गई है या धारित है।

स्विट्जरलैंड में एचएसबीसी बैंक में कथित रूप से बैंक खाता रखने वाले 628 भारतीयों के बारे में भारत और फ्रांस के बीच दोहरे कर परिहार कन्वेंशन के अंतर्गत फ्रांस सरकार से प्राप्त सूचना के संबंध में जांच पड़ताल किए जाने से 409 मामलों (कुछ मामलों में बचाव निर्धारण सहित) लगभग 8400

करोड़ रु. की अघोषित आय का कराधान हुआ है। इसके अतिरिक्त आय छुपाने संबंधी 161 मामलों में 1287 करोड़ रु. की शास्ति उदग्रहित की गई तथा 77 मामलों में 190 आपराधिक अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं।

इंटरनेशनल कन्सोल्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट द्वारा सार्वजनिक डोमेन पर रखे गए, कोई कर नहीं अथवा कम कर वाली अधिकारिताओं पर आधारित विदेश स्थित संगठनों के साथ कथित रूप से जुड़े भारतीयों के संबंध में सूचना की जांच-पड़ताल से, अघोषित विदेशी खातों में क्रेडिट की 8500 करोड़ रु. से अधिक धनराशि का पता चला है। ऐसे 30 मामलों में 66 अभियोजन शिकायतें दण्डात्मक न्यायालयों में दायर की गई हैं। काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत वन टाइम थ्री मंथ्स कम्प्लायंस विन्डो, जो कि 30 सितम्बर, 2015 को बंद हो गई थी, के तहत 648 घोषणाएँ की गईं जिनमें 4,164/- करोड़ रुपए के मूल्य की विदेशी परिसंपत्ति की बात निहित है। कर और दण्ड के द्वारा ऐसे मामलों में लगभग 2,476/- करोड़ रुपए की राशि की वसूली की गई है।

नोटबंदी के पश्चात् 09.11.2016 से 10.01.2017 की अवधि के दौरान आयकर विभाग द्वारा 1100 से अधिक सर्च और सर्वे किए गए तथा इसके अलावा उच्च मूल्य के नकद जमा राशि अथवा इससे संबद्ध क्रियाकलापों के संदिग्ध मामलों में 5100 सत्यापन नोटिस जारी किए गए। ऐसी कार्रवाईयों से 610 करोड़ रु. से अधिक बहुमूल्य वस्तुओं को जब्त किया गया जिसमें 513 करोड़ रु. की नकद राशि भी शामिल है। नए मुद्रा के नोटों की भी लगभग 110 करोड़ रु. की जब्ती हुई। इसके अलावा, ऐसे मामलों में पता चली अघोषित आय 5400 करोड़ रु. से अधिक थी।

इसके अलावा, आयकर विभाग ने नोटबंदी की अवधि के दौरान जमा की गई नकद राशि के ई-सत्यापन के लिए प्रौद्योगिकी और आंकड़ों के विश्लेषण को सुलभ बनाने के लिए ऑपरेशन स्वच्छ धन को शुरू किया है जिससे करदाताओं के संबंध में अनुपालना लागत को कम किया जा सके और सरकार के संसाधनों को इष्टतम बनाया जा सके। ऑपरेशन स्वच्छ धन के अंतर्गत ऐसे लगभग 18 लाख व्यक्तियों की पहचान की गई है जिनके कर के प्रोफाइल के साथ, प्रथमदृष्टया उनके द्वारा नोटबंदी की अवधि के दौरान जमा की गई नकद धनराशि मेल नहीं खाती। आरंभिक चरण के एक हिस्से के रूप में आयकर विभाग ने ऐसे व्यक्तियों द्वारा कराई गई नकद जमा राशि के स्रोतों के संबंध में पूर्व परिभाषित मानदंडों के अनुसार अपनी ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर मांगे हैं। 8.38 लाख से अधिक अलग-अलग पैन धारकों/व्यक्तियों से 12 लाख से अधिक ऑनलाइन प्रतिक्रिया पहले ही प्राप्त हो चुकी है। नकद के स्रोत का औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने के मामले में, सत्यापन बंद कर दिया जाता है। सत्यापन को उन मामलों में भी बंद कर दिया जाना होता है, यदि नकद जमा राशि को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत घोषित किया जाता है। समुचित मामले, जिनमें गैर-अनुपालना मामले भी शामिल हैं, के संबंध में सर्च और सर्वे जैसी प्रवर्तन कार्रवाइयां की जाती हैं। ऐसे मामलो में कार्रवाई, प्रत्यक्ष कर कानून के अंतर्गत सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसी

कार्रवाई में शामिल है - आय का निर्धारण, करों का उद्ग्रहण, शास्तियां इत्यादि और जहां कहीं लागू हो, दंडात्मक न्यायालयों में अभियोजन शिकायतें दायर करना।

पिछले तीन वर्ष के दौरान कानून प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा की गई ठोस और समन्वित कार्रवाइयों द्वारा काले धन की बुराई से निपटने में काफी सफलता मिली है। इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कानूनों का अधिशासन करने वाले कानून प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा अप्रत्याशित प्रवर्तन कार्रवाइयां की गई हैं। फरवरी 2017 तक 23064 सर्च/ सर्वे किए गए थे (आयकर 17525; सीमा शुल्क 2509; केंद्रीय उत्पाद शुल्क 2513; सेवाकर 1120); 1.37 लाख करोड़ रु. से अधिक अघोषित आय/कर-अपवंचन का पता चला है (आयकर 69434; सीमा शुल्क 11405; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 13952; सेवाकर 42727) इसके साथ-साथ 2814 मामलों में आपराधिक अभियोजन चलाए गए थे (आयकर 1966; सीमा शुल्क 526; केंद्रीय उत्पाद शुल्क 293; सेवाकर 29) और 3893 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था (सीमा शुल्क 3782; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 47; सेवाकर 64)।

प्रवर्तन निदेशालय ने 519 मामले दर्ज करके और 396 सर्च करके इसकी धन-शोधन विरोधी कार्रवाईयों को बढ़ाया। 79 मामलों में गिरफ्तारियां की गईं और 14933 करोड़ रु. के मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई।

बेनामी निषेध कानून जोकि पिछले 28 साल से प्रचालन में नहीं था, को नवम्बर, 2016 से एक व्यापक संशोधन के माध्यम से ऑपरेशनल बनाया गया। अब तक 245 से अधिक बेनामी लेनदेन की पहचान की गई है। 124 मामलों में 55 करोड़ रु. मूल्य की संपत्ति की अनंतिम कुर्की की गई है।

कमियों को दूर करते हुए और दण्डात्मक प्रावधानों को सुदृढ़ करते हुए संगत कानूनों और नियमों को कारगर और कड़ा बनाया गया है। विभिन्न माध्यमों से होने वाले नकद लेनदेन का पता लगाने और उसे रोकने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं जैसे कि 2 लाख रु. से अधिक नकद लेनदेन के मामले में दण्डित करना; अनुमत्य नकद खर्च को 10,000- रु. तक सीमित करना; पैन प्राप्त करने और आयकर विवरणी दायर किए जाने के संबंध में आधार का उल्लेख करना अनिवार्य करना; 50,000/- रु. से ऊपर नकद राशि जमा करवाने के संबंध में पैन का उल्लेख अनिवार्य करना; बैंक खातों के साथ पैन को जोड़ना अनिवार्य बनाना; अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में 20,000/- रु. अथवा इससे अधिक का नकद लेनदेन का निषेध तथा इस संबंध में समतुल्य दण्ड राशि की शास्ति लगाना और 09 नवम्बर से 30 दिसम्बर, 2016 के दौरान बचत खाते में 2.5 लाख से अधिक और चालू खाते में 12.5 लाख से अधिक नकद जमा राशि की रिपोर्टिंग करना अनिवार्य बना दिया गया है।

भ्रष्ट क्रियाकलापों से जुड़ी हजारों शैल कंपनियों के विरुद्ध, कानून प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा प्रवर्तन कार्रवाइयों (सर्च, सर्वे, गिरफ्तारी, अभियोजन) के माध्यम से कड़ी कार्रवाई प्रभावी हो सकी थी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निष्क्रिय/गैर-अनुपालना कंपनियों के नाम काटने के लिए एक लाख से अधिक नोटिस जारी किए हैं। काले धन के सृजन और प्रसार के कंड्यूट को समाप्त करने के उद्देश्य से संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाइयों में समन्वय बनाने और उनकी निगरानी करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त दल का गठन किया गया है।

Recovery of black money

†*412. SHRI NARESH AGRAWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government resorted to demonetisation to bring back black money stashed in foreign countries;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the quantum of black money recovered by Government from different sources so far, source-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Eliminating Black Money was one of the objectives of demonetisation as stated in the Government of India's 'Press Release' dated 8th November, 2016 in this regard. Action against black money stashed abroad is an on-going process. Such actions include putting in place appropriate legislative and administrative frameworks and processes along-with effective enforcement actions.

Recent major steps to bring back black money stashed abroad include - (i) Constitution of the Special Investigation Team (SIT) on Black Money under Chairmanship and Vice-Chairmanship of two former Judges of Hon'ble Supreme Court, (ii) Enactment of a comprehensive law - 'The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015' to specifically deal with black money stashed away abroad, (iii) Constitution of Multi-Agency Group (MAG) for investigation of revelations in Panama paper leaks, (iv) Proactively engaging with foreign Governments to facilitate and enhance the exchange of information under tax treaties (v) Renegotiation of tax treaties to bring the Article on Exchange of Information to International Standards and expanding India's treaty network by signing tax treaties with many jurisdictions to facilitate the exchange of information and to bring transparency (vi) Proactively furthering global efforts to facilitate automatic exchange of information and (vii) Enabling attachment and confiscation of property equivalent in value held within the country where the property/ proceeds of crime is taken or held outside the country by amending the Prevention of Money-laundering Act, 2002 through the Finance Act, 2015.

† Original notice of the question was received in Hindi.

Investigations into information on 628 Indian persons allegedly holding bank accounts in HSBC bank in Switzerland received from the Government of France under Double Taxation Avoidance Convention (DTAC) between India and France led to taxation of undisclosed income of about ₹ 8400 crore in 409 cases (including protective assessments in some cases). Besides, concealment penalty of ₹ 1287 crore was levied in 161 cases and 190 criminal prosecution complaints were filed in 77 cases.

Further, investigations into information pertaining to Indian persons allegedly linked to off shore entities based in no tax or low tax jurisdictions put into public domain by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) have led to detection of more than ₹ 8500 crore of credits in undisclosed foreign accounts. 66 prosecution complaints in 30 such cases have been filed before criminal courts.

648 disclosures involving undisclosed foreign assets worth ₹ 4164 crore were made in the one-time three months' compliance window closed on 30th September 2015, under the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015. The amount collected by way of tax and penalty in such cases was about ₹ 2476 crore. Post demonetisation, during the period 9th November 2016 to 10th January 2017, more than 1100 search and survey were conducted by the ITD, apart from issuing more than 5100 verification notices in the cases of suspicious high value cash deposits or related activities. These actions led to seizure of valuables of more than ₹ 610 crore which includes cash of ₹ 513 crore. Seizure of cash in new currency notes was about ₹ 110 crore. The undisclosed income detected in these actions was more than ₹ 5400 crore.

Further, ITD has undertaken "Operation Clean Money" (OCM) to leverage technology and data analytics for e-verification of cash deposits made during the demonetisation period with a view to reduce compliance cost for the taxpayers and optimise Government resources. Under OCM, about 18 lakh persons have been identified whose tax profiles were *prima facie* not in line with the cash deposits made by them during the demonetisation period. As part of the initial phase, the ITD has sought online response as per pre-defined parameters on source(s) of cash deposited by such persons through its e-filing portal. More than 12 lakh responses have been received from more than 8.38 lakh distinct PANs/persons. In case explanation of source of cash is found

justified, the verification is closed. The verification is also closed if the cash deposit was declared under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna (PMGKY). Enforcement actions such as searches and surveys are also conducted in appropriate cases including those who are non-compliant. Action in such cases is part of continuous process under the Direct Taxes law. Such actions include assessment of income, levy of taxes, penalties, etc. and filing of prosecution complaints in criminal courts, wherever applicable.

Concerted and co-ordinated actions of Law Enforcement Agencies (LEAs) have achieved phenomenal success in fighting the menace of black money during the last three years. The period has witnessed unprecedented enforcement actions by LEAs administering direct and indirect taxes. Till February 2017, while 23064 searches/ surveys were conducted (Income Tax 17525; Customs 2509; Central Excise 1913; Service Tax 1120); more than ₹ 1.37 lakh crore of undisclosed income/tax evasion was detected (Income Tax 69434; Customs 11405; Central Excise 13952; Service Tax 42727). Simultaneously, criminal prosecutions were launched in 2814 cases (Income Tax 1966; Customs 526; Central Excise 293; Service Tax 29) and 3893 persons were placed under arrest (Customs 3782; Central Excise 47; Service Tax 64).

The Enforcement Directorate intensified its anti-money laundering actions by registering 519 cases and conducting 396 searches. Arrests were made in 79 cases and properties worth ₹ 14,933 crore were attached.

The *Benami* prohibition law which remained in-operative for last 28 years was made operational through a comprehensive amendment with effect from November, 2016. More than 245 *benami* transactions have already been identified. Provisional attachments of properties worth ₹ 55 crore have already been made in 124 cases.

Relevant laws and rules have been streamlined and tightened, plugging the loopholes and strengthening the penal provisions. Effective steps have been taken to track and curb cash transactions through various means like penalizing cash transaction of more than ₹ 2 lakh; limiting allowable cash expense upto ₹ 10000 only; making Aadhaar mandatory for obtaining PAN and filing of income tax returns; making PAN mandatory for cash deposits above ₹ 50,000; compulsory linking of PAN with bank accounts; prohibiting cash of ₹ 20,000 or more in transfer of immovable property by imposition of a penalty of an equal amount and mandatory reporting of cash deposits above ₹ 2.5 lakh

in savings accounts and ₹ .12.5 lakh in current account during 9 November to 30 December 2016.

Crackdown against thousands of shell companies engaged in nefarious activities was effected through enforcement actions (searches, surveys, arrests, prosecutions) by the LEAs. The Ministry of Corporate Affairs has issued more than a lakh notices for striking off names of defunct/non-compliant companies. A High powered group has been set-up for co-coordinating and monitoring the actions taken by departments concerned with the objective of eliminating the conduits of black money generation and application.

श्री नरेश अग्रवाल: सभापति जी, मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा था, लेकिन उसका इतना लम्बा जवाब आया कि कहीं समझ ही नहीं आ रहा कि उसका जवाब क्या है?

माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 8 नवम्बर, 2016 को, जिस दिन आपने demonetisation किया था, उस दिन तक रिज़र्व बैंक ने 1000 और 500 के कितने नोट जारी किए थे? उसके बाद, जब 31 दिसम्बर या 31 मार्च तक यह बंद हुआ, रिज़र्व बैंक को आपने जो लास्ट डेट दी थी, उस तारीख़ तक सभी बैंकों के माध्यम से कितना रुपया रिज़र्व बैंक में वापस आया और कितना बच गया? मेरा मतलब यह है कि उसमें कितना काला धन आया और कितना सफेद धन आया? इसी में मेरा दूसरा प्रश्न यह है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप एक ही सवाल पूछिए।

श्री नरेश अग्रवाल: सर, यह उसी प्रश्न के साथ है, चूंकि हमने विदेश को इसमें जोड़ा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि स्विट्ज़रलैंड, पनामा, दुबई, सिंगापुर, ये सब हवाला के, ब्लैक मनी के बहुत बड़े सैंटर्स हैं। आपके पास फ्रांस से एक लिस्ट भी आई थी, स्विट्जरलैंड में बहुत सारा काला धन था, लेकिन आपने उसको निकालने का मौका दे दिया।

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जब आपने नोटबंदी की, उस समय तक स्विट्जरलैंड में कितना रुपया जमा था अथवा विदेशों में अन्य जगहों पर कितना रुपया जमा था और जब आपकी नोटबंदी खत्म हो गई, उसके बाद इन जगहों पर अब कितना रुपया रह गया है?

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली): सभापति जी, इस प्रश्न का इग्ज़ैक्ट संबंध quantum of currency से नहीं था। आपने जो पहला प्रश्न पूछा है, उसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि demonetisation के दौरान जो approximated पैसा आता था और बैंकों में जमा होता था, बैंकों से वह currency chest में चला जाता था और currency chest से फिर वह रिज़र्व बैंक के अंदर जाता था। बीच-बीच में वे उसका एक assessment देते रहते थे कि कितना रुपया आया है। अब जो रिज़र्व बैंक को फाइनल फिगर देना पड़ेगा, वह एक-एक करेंसी नोट को वेरिफाई करने के बाद, टोटल काउंट करने के बाद, एक्युरेटली

देना पड़ेगा, इसलिए वह एक्सरसाइज़ रिज़र्व बैंक independently कर रहा है। रिज़र्व बैंक के पास जैसे ही ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप पहले पूरा जवाब सुन लीजिए।

श्री अरुण जेटलीः रिज़र्व बैंक की एक्सरसाइज़ जैसे ही समाप्त हो जाती है, तो रिज़र्व बैंक उसके फाइनल आंकड़े, जो बिल्कुल precise होंगे, देश के सामने रख देगा।

दूसरा, आपने यह प्रश्न पूछा कि बाहर के देशों में कितना पैसा था, तो इसका कोई official estimation नहीं होता है, लेकिन समय-समय पर किसी न किसी प्रक्रिया से, सरकार के initiative पर अथवा किसी independent investigation के आधार पर, सरकार को यह जानकारी मिलती रहती है कि विदेशों के अंदर भारतीय मूल के किन लोगों के साधन एक प्रकार से गैर-कानूनी रूप में लगे हुए हैं। उन सबके संबंध में आज तक जितनी जानकारी आई है, चाहे वह फ्रांस के माध्यम से, SSBC एकाउंट के संबंध में है, चाहे वह Liechtenstein accounts के संबंध में है, वह कई bilateral arrangements के तहत भारत सरकार को आती रहती है और भारत सरकार को हर केस की पूरी जानकारी होती है। हर केस में, जहां-जहां भारतीय व्यक्तियों का, Indian assessee का पैसा माना जाता है, उसका assessment हो रहा है, उसके बाद उसकी liability fix होती है और जहां भी Criminal Law का उल्लंघन हुआ है, वहां उस पर prosecution भी फाइल है।

श्री नरेश अग्रवालः मैं यहां बस इतना पूछना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जब पूरा रुपया पहुंच जाएगा, तो रिज़र्व बैंक बता देगा कि कितना रुपया आया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 8 नवम्बर तक रिज़र्व बैंक से कितना रुपया जारी हुआ था? यह फिगर तो आपके पास ही कि देश में 1000 रुपये और 500 रुपये के कितने लाख करोड़ नोट जारी हुए थे?

इसके साथ, इन्होंने चुनाव के दौरान अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे और सबके खातों में 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। यह वादा चुनाव में किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि आपको मालूम था कि काला धन है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लीजिए, समय खत्म हो रहा है

श्री नरेश अग्रवालः इसका मतलब, आपके पास यह इन्फॉर्मेशन थी कि कांग्रेस की सरकार के समय में काला धन विदेश में रखा हुआ था। आपको आए हुए अब तीन साल हो गए हैं, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि विदेश में आपके पास estimated कितना काला धन है और देश में कितना काला धन है? आप कब तक उस काले धन को बाहर ले आएंगे?

श्री अरुण जेटलीः सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं इतना कहना चाहता हूं कि काला धन चाहे देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, उसे रोकने के लिए इतिहास में कोई दूसरी सरकार ऐसी नहीं रही, जिसने इतने कदम उठाए हों, जितने इस सरकार ने उठाए हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. The House is adjourned till 2.00 p.m.